भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1582**

**04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न**

**ई-केवाईसी के कारण राशन कार्डों का निरस्तीकरण**

**1582. श्री ससिकांत सेंतिल:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन रिपोर्टों से अवगत है जो दर्शाती हैं कि अनिवार्य ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया से वास्तविक राशन कार्डधारक बाहर हो रहे हैं जिससे विशेष रूप से प्रवासी आबादी प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-केवाईसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के बाद से रद्द किए गए राशन कार्डों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त निरस्तीकरण के बताए गए प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि वैध राशन कार्डधारक, विशेष रूप से कमजोर समूह जैसे प्रवासी श्रमिक, बुजुर्ग और दिव्यांग ई-केवाईसी प्रक्रिया में तकनीकी या यांत्रिक बाधाओं के कारण खाद्य सुरक्षा लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहें?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क):** इस विभाग को किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अपात्र/डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान करने तथा पात्र लाभार्थियों/परिवारों को शामिल करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

**(ख):** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया संचालित की जाती है। ई-केवाईसी को लागू किए जाने के कारण रद्द किए गए राशन कार्डों का कोई भी डाटा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

**(ग):** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश 2015 के अनुसार, राशन कार्डों/लाभार्थियों की सूची की समीक्षा, अपात्र/डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान करने और पात्र लाभार्थियों/परिवारों को शामिल करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक चिह्नित किए गए मामले का उचित सत्यापन (क्षेत्र सत्यापन सहित) करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक लाभार्थियों के राशन कार्ड हटाए/निलंबित न किए जाएं।

*****